



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

No. 277]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2004/असाध्या 8, 1926

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2004/ASADHYA 8, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2004

सा.का.नि. 392(अ)।— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2004 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ख) "अपील प्राधिकारी" से इस आदेश के उपाबंध के पैरा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है।

3. उक्त आदेश के खंड 6 के उपखंड (4) में, "ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा प्राधिकारी या इस विहित उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त आदेश के खंड 7 में उपखंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(4) ऐसा कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के स्वामी के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, ऐसे स्वामी को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस जमा करने के साथ लिखित अनुरोध कर सकेगा।

(4क) उपखंड (4) के अधीन अनुरोध और विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के भीतर, उचित कीमत की दुकान का स्वामी राशन कार्डधारक को अभिलेख के ऐसे उद्धरण प्रदान करेगा।"

5. उक्त आदेश के खंड 10 में,—

(क) उपखंड (2) में, “यह विस्थापन करने का कारण है” शब्दों के स्थान पर “आविष्य के प्रत्यक्ष होने पर या अन्यथा प्रविष्टिवादात्मक करने का कारण है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (3) के पर्याय निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3क) उपखंड (3) के अधीन तलाशी लेने वाला और अभिग्रहण करने वाला प्राधिकारी राज्य सरकार को या उसके द्वारा इस निम्नलिखित किसी अधिकारी को उक्त खंड के अधीन उसके द्वारा इस प्रकार की गई तलाशी और अभिगृहीत आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक के व्योमों के बारे में सूचना देगा ।”

6. उक्त आदेश के खंड 11 में, --

(क) उपखंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) अनिहित प्राधिकारी को, उचित कीमत की दुकान के स्वामी को अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी को उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी, जहां तक साध्य हो, उक्त अपील का साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करेगा ।”

(ख) उपखंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान, अपील प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि अपीलाधीन आदेश ऐसी अवधि तथा जिसे उपखंड (4) के अधीन उक्त प्राधिकारी अन्य प्रकार को युक्तियुक्त अवसर देने के लिए आवश्यक समझे या उस अपील के निपटारे तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी नहीं होगा ।”

7. उक्त आदेश के उपबंध में,—

(क) पैरा 2 के उपपैरा (7) में, “एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए” शब्दों के स्थान पर, “उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, जब तक कि उससे पहले उसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है,” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) पैरा 4 में उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) राज्य सरकारों के अनिहित प्राधिकारी उचित कीमत की दुकान को किए गए आबंटन आदेश की एक प्रति का परिधान-ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाओं या सत्तर्कता समितियों या संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उचित कीमत की दुकानों के कर्तव्यों को मानीटर करने के लिए नामनिर्देशित किसी अन्य निकाय को किया जाना सुनिश्चित करेंगे और ऐसे आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा, अर्थात् :-

(i) कार्डों और युक्तियों की संख्या ;

(ii) हस्तागत अतिशेष ; और

(iii) उचित कीमत की दुकान के संबंध में प्रत्येक मास के लिए किया गया आबंटन ।

(ग) पैरा 5 में, आरंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“अनुज्ञप्ति प्राप्त करना :

राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 3 के अधीन आवश्यक वस्तुओं के विक्रय और संचितरण को विनियमित करने के लिए एक आदेश जारी करेंगी । उक्त आदेश के अधीन उचित कीमत की दुकान के स्वामियों को अनुज्ञप्ति या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ‘अनिहित प्राधिकारी’ द्वारा जारी की जाएगी और उक्त प्राधिकारी उचित कीमत की दुकान के स्वामियों को कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अधिकारित करेगा । उचित कीमत की दुकान के स्वामियों के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-”

(घ) पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

7. "अपील प्राधिकारी : राज्य सरकारें किसी जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के उस सरकार के किसी अधिकारी को "अपील प्राधिकारी" के रूप में इस अध्यादेश के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करेंगी :

परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2004 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपील का निपटारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा वैसे ही किया जाएगा मानो यह संशोधन हुआ ही न हो।"

[सं. 9(10)/2000-पी. डी.-II(पीटी)]

अनीता चौधरी, संयुक्त सचिव

याद दियेजिए : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं. 638(अ) तारीख 31-8-2001 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 29th June, 2004

G.S.R. 392(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Public Distribution System (Control) Order, 2001, namely :

1. Short title and commencement :-

(1) This Order may be called the Public Distribution System (Control) (Amendment) Order, 2004.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Public Distribution System (Control) Order, 2001 (hereinafter referred to as the 'said Order'), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

'(b) "Appellate Authority" means an authority appointed as such by the State Government under paragraph 7 of the Annexure to this Order;

3. In clause 6 of the said Order, in sub-clause (4), for the words, "The authority or person", the words "The authority or any person authorised by it in this behalf or any other person" shall be substituted.

4. In clause 7 of the said Order, for sub-clause (4), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(4) Any ration card holder desirous of obtaining extracts from the records of a fair price shop owner may make a written request to such owner along with deposit of the fee specified by the State Government.

(4A) Within fourteen days from the date of receipt of a request and the specified fee under sub-clause (4), the fair price shop owner shall provide such extracts of records to the ration card holder."

5. In clause 10 of the said Order, -

(a) in sub-clause (2), for the words, "reason to believe" the words, "reasons to believe on receipt of a complaint or otherwise" shall be substituted;

(b) after sub-clause (3), the following sub-clause shall be inserted, namely :-

"(3A) The authority conducting search and seizure under sub-clause (3) shall inform the State Government or an officer authorised by it in this behalf, the details of the search conducted and the stocks of essential commodities so seized by them under that clause."

6. In clause 11 of the said Order :-

(a) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(3) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of the licence to the fair price shop owner, or cancellation of the licence may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order and the Appellate Authority shall, as far as practicable, dispose the appeal within a period of sixty days."

(b) for sub-clause (5), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"(5) Pending the disposal of an appeal, the Appellate Authority may direct that the order under appeal shall not take effect for such period as the authority may consider necessary for giving a reasonable opportunity to the other party under sub-clause (4) or until the appeal is disposed off, whichever is earlier."

7. In the Annexure to the said Order -

(a) in paragraph 2, in sub-paragraph (7), for the words, "a specified period", the words, "a period of five years from the date of its issue unless it is suspended or cancelled earlier" shall be substituted;

(b) in paragraph 4 for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :-

"(3) The designated authority of the State Government shall ensure delivery of one copy of allocation order made to the fair price shop simultaneously to Gram Panchayats or Nagar Palikas or Vigilance Committees or any other body nominated for monitoring the functioning of the fair price shops by the concerned State Government and such order shall specify:-

(i) Number of cards and units;

(ii) Balance in hand; and

(iii) Allocation made for each month in respect of a fair price shop."

(c) in paragraph 5, for the opening paragraph the following paragraph shall be substituted, namely :-

"Licensing:

State Governments shall issue an order under section 3 of the Act for regulating the sale and distribution of the essential commodities. The licenses to the fair price shop owners shall be issued under the said order by the 'designated authority' appointed by the State Government and the authority shall lay down the duties and responsibilities of the fair price shop owner. The responsibilities and duties of fair price shop owners shall include, *inter alia*:"

(d) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"7. Appellate Authority: The State Governments shall appoint an officer of that Government not below the rank of Additional District Magistrate of a District as "Appellate Authority" for exercising the powers conferred upon and discharging the functions assigned to him under this Order.

Provided that an appeal pending before an appellate authority immediately before the commencement of the Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2004 shall be disposed of by such authority as if this amendment had not taken place.”.

[No. 9(10)/2000-PD.-II (pt.)]
ANITA CHAUDHARY, Jt. Secy.

FOOT NOTE: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. number 638(E) dated 31-8-2001.